

प्रेषक,

भूपेश तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2,

देहरादून: दिनांक: 12 जून, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, को राज्य योजना के अन्तर्गत अंशपूजी की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को पत्र संख्या 7001/उपाकलि/म०प्र०(वि०)/एस०आई०/आर०ई०सी० दिनांक 21.05.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, को राज्य योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु यूपीसीएल को रू० 15.00 करोड (रू० पन्द्रह करोड मात्र) की धनराशि अंशपूजी के रूप में निम्न विवरणानुसार निम्न लिखित शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र०स०	योजना का नाम	धनराशि
1	आई०पी०डी०एस० योजना	476.50
2	सौभाग्य योजना	431.00
3	आर०ई०सी० योजना	592.50
कुल धनराशि		1500.00

1- उक्त धनराशि का आहरण व व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि योजना/कार्यों के संबंध में विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो। साथ ही आर०ई०सी० से समानुपाती रूप से ऋण भी अवमुक्त करा लिया जायेगा एवं उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग से यथा स्थिति स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर, कारपोरेशन लि० द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार एवं जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय। साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को वापस कर दिया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2019 तक तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण संलग्न कर शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

- 6- निगम इस सदृश लेखों का मिलान महालेखाकार से करा लें और उनसे प्रमाण पत्र लेकर शासन को उपलब्ध करायेंगे।
- 7- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु यूपीसीएल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- 8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4801-05-190-07 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, में वितरण परियोजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण एवं अनुदान संख्या 30 के लेखा शीर्षक 4801-05-190-097-04- उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, की परियोजनाओं हेतु अंशपूजी-30-निवेश/ऋण एवं अनुदान संख्या 31 के लेखाशीर्षक 4801-05-190-04 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन की परियोजनाओं हेतु अंशपूजी-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।
- 9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 193/XXVII(2)/2018, दिनांक 05 जून, 2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि

भवदीय,

(भूपेश तिवारी)
अपर सचिव

संख्या: 1023 /I(2)/2018-06/14/2012, तददिनांक।


- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिलिडिंग सहारनपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड।
 - 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (आडिट) इन्द्रानगर देहरादून।
 - 3- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्यें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
 - 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
 - 5- जिलाधिकारी, देहरादून,।
 - 6- वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
 - 7- बजट नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
 - 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या /०२३ I(2)/2018-06/14/2012, दिनांक 12/8/18 का संलग्नक-1

क्र०स०	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	धनराशि का विवरण रु० लाख में
1	21	4801-05-190-07 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, में वितरण परियोजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण एवं	1250.00
2	30	4801-05-190-04- उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, की परियोजनाओं हेतु अंशपूजी-30-निवेश/ऋण	200.00
3	31	4801-05-190-04 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन की परियोजनाओं हेतु अंशपूजी-30-निवेश/ऋण	50.00
कुल धनराशि			1500.00

(रु० पन्द्रह करोड मात्र)

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।